रजिस्टर्ड न० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 जुलाई, 1981/27 आषाढ़, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL DEPARTMENT

(APPOINTMENT-II)

NOTIFICATION

Simla-2, the 3rd July, 1981

No. Per. (AP-II)-A(4)-5/76.—By virtue of powers vested in him by clause (*i*) of Article 316 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to appoint Shri J. C. Malhotra, at present Law Secretary and Legal Remembrancer to the Government of Himachal Pradesh as Chairman of the Himachal Pradesh Public Service Commission with effect from the forenoon of 15th July, 1981.

K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

REVENUE DEPARTMENT

ORDER

Simla-171002, *the* 30*th June*, 1981

No. Rev. 1-6 (Stamp) 1/81.—In exercise of the powers conferred upon him by sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act II of 1899) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to remit with immediate effect, in the whole of Himachal Pradesh the same stamp duty chargeable under the said Act on any instruments executed by or in favour of the persons who are given legal aid under the Himachal Pradesh State Legal Aid to the Poor Rules, 1980.

NOTIFICATION

Simla-171002, *the* 30*th June*, 1981

No. Rev. 1-6(Stamp) 1/81.—In exercise of the powers conferred upon him by section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to remit with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh the fees mentioned in the First and Second Schedules to the said Act in respect of the persons who are given legal aid under the Himachal Pradesh State Legal Aid to the Poor Rules, 1980.

By order,
P. P. SRIVASTAVA,
Secretary.

TOURISM DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla-2, *the* 26*th June,* 1981

No. 2-10/80-TD (Sectt.).—In continuation of this Department notification of even number, dated 17th January, 1981, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Chairman-*cum*-Managing Director, I.T.D.C., New Delhi on the Board of Directors of H. P. Tourism Development Corporation, Ltd., Simla, with immediate effect.

By order,
Sd/-
Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जून, 1981

संख्या 8-10/75-सा0प्र0वि0(ख).—हिमाचल प्रदेश आरोहण अथवा निपथ-यात्रा भारिक (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ:—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश आरोहण अथवा निपथ-यात्रा भारिक (नियोजन का विनियमन) नियम, 1981 कहलायेंगे ।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा ।

(3) ये नियम सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो:

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश आरोहण अथवा निपथ-यात्रा भारिक (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1977 अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) "प्रपत्र" से इन नियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. आरोहण अथवा निपथ-यात्री दल की योजना या कार्यक्रम (धारा 3).—(1) प्रत्येक आरोहण अथवा निपथ-यात्री दल को साहसिक कार्य, नेता तथा सदस्यों के अनुभव, भारिकों की आवश्यकता आदि का विवरण देते हुए सक्षम प्राधिकारी को अभियान आरम्भ करने से कम से कम एक मास पूर्व अभियान यानि पथ यात्रा के प्रस्ताव को भेजना चाहिए ।

(2) प्रत्येक आरोहण अथवा निपथ-यात्री दल को अपने साहसिक कार्य की प्रगति के बारे में सक्षम प्राधिकारी को डाक वाहक अथवा बेतार द्वारा सूचित करना चाहिए जो यथा सम्भव प्रत्येक आरोहण दल को अपने साथ ले जाने चाहिए ।

4. भारिकों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र (धारा 5).—कोई व्यक्ति जो भारिक के रूप में कार्य करने का इच्छुक है प्रपत्र "क" में [जो निदेशक, पर्वतारोहण संस्थान, मनाली, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) से 1 रुपया देकर प्राप्त किया जा सकता है] पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन-पत्र देगा ।

5. पंजीकरण हेतु शुल्क.—नियम 4 के अधीन दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ 5.00 रुपये (केवल पांच रुपये) का शुल्क नकद अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में दिया जायेगा ।

6. पंजीकरण का प्रमाण-पत्र.—आवेदक को यदि भारिक के रूप में कार्य करने हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस रूप में पंजीकृत किया जायेगा और प्रपत्र "ख" में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा जो पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा और इसे 1.00 रुपया (एक रुपया) नवीनकरण शुल्क अदा करने पर एक समय में एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जायेगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि आवेदक भारिक की अर्हताएं अभी भी रखता है ।

7. प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करना.—नियम 6 के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र यदि गुम, नष्ट अथवा विकृत हो जाता है तो पचास पैसे की राशि देकर प्रपत्र "ख" में प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्रदान की जा सकती है ।

8. भारिकों का रजिस्टर [धारा 6 तथा 18 (क)].—नियम 6 के अधीन पंजीकृत किए गए भारिकों के नाम प्रपत्र "ग" में बनाये गये रजिस्टर पर दर्ज किए जायेंगे ।

9. पहचान-पत्र का प्रपत्र (धारा-7).—प्रत्येक पंजीकृत भारिक को प्रपत्र "घ" में पहचान-पत्र जारी किया जायेगा ।

10. भारिकों की मजदूरी दर (धारा 12).—भारिकों की मजदूरी दर वही होगी जोकि दल के पर्वतारोहण अथवा निपथ-यात्रा के क्षेत्र के जिलाधीश के परामर्श से निदेशक द्वारा समय-समय पर विहित की जाए ।

11. चिकित्सा सुविधाएं (धारा 13)—प्रत्येक पर्वतारोहण अथवा निपथ-यात्री दल के साथ एक अर्हता प्राप्त डाक्टर अथवा कोई ऐसा सदस्य होना चाहिए जो प्राथमिक चिकित्सा, पर्वतारोहण से सम्बन्धित सामान्य औषधियों का ज्ञान रखता हो ताकि वह पर्वतारोहण अथवा निपथ यात्रा के दौरान अस्वस्थ भारिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर सके ।

12. बचाव कार्य (धारा 15).—पर्वतारोहण अथवा निपथ यात्री दल पर किसी प्रकार की विपति आने या दुर्घटना हो जाने की अवस्था में यदि दल चाहे तो पर्वतारोहण संस्थान, मनाली, दल से सूचना मिलते ही तुरन्त बचाव कार्य आयोजित कर सकता है और इस प्रकार किए गए बचाव कार्य पर हुआ व्यय यथा स्थिति, सम्बन्धित दल या दल भेजने के लिए उत्तरदायी प्राधिकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

13. बीमा (धारा 16).—अभ्यावश्यकताओं, निष्क्रमण, चिकित्सार्थ अस्पताल में भर्ती करने, प्रतिकर आदि की सुरक्षा के लिए दल के सभी सदस्यों या पारिश्रमिक पर लिए जाने वाले भारिकों का साहसिक कार्य की अवधि के लिए दल के खर्च पर बीमा करवाया जायेगा ।

14. उपकरणों की जांच पड़ताल [धारा 18 (2)(छ)].—दल द्वारा पर्वतारोहण आरम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति से उपकरणों की जांच पड़ताल करवानी होगी ।

15. मार्ग दर्शन या परामर्श [धारा 18 (2)(छ)].—पर्वतारोहण संस्थान, मनाली, पर्वतारोहण अथवा निपथ-यात्रा के मार्ग के सम्बन्ध में पर्वतारोहण अथवा निपथ-यात्री दल को यथा सम्भव पूर्ण मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करेगा ।

16. सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी अभियान दल से पर्वतारोहण संस्थान, मनाली द्वारा प्रदान की गई आज्ञा प्रस्तुत करने की मांग करने हेतु सक्षम होगा । यदि दल उसे प्रस्तुत नहीं करता है और सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी के पास ऐसे विश्वास करने के कारण हों कि दल ने आज्ञा प्राप्त नहीं की है तो दल को पर्वतारोहण अथवा निपथ-यात्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

प्रपत्र "क"

(हिमाचल प्रदेश आरोहण अथवा निपथ-यात्रा भारिक (नियोजन का विनियमन) नियम, 1981 के नियम 4 के अधीन विहित)

पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र

आवेदक के पार-पत्र के नाप की प्रतिकृति (फोटो) के लिए स्थान

1. आवेदक का नाम——————————————
(स्पष्ट शब्दों में)

2. पिता का नाम——————————————

3. पता (I) निवास——————————————
तहसील—————————— ज़िला ——————————
राज्य ——————————
(II) स्थायी निवास स्थान का पता——————————
तहसील—————————— ज़िला ——————————
राज्य——————————

4. जन्म तिथि——————————(शब्दों में)——————————

5. पहचान चिह्न——————————————

6. शैक्षणिक योग्यताएं——————————————

7. इससे पूर्व पर्वतारोहण और निपथ-यात्री——————————
दलों के साथ जाने का अनुभव ——————————
(अलग से प्रति संलग्न करें)। ——————————

8. आवेदक का अधिमान:—
(क) किसी भी ऊंचाई पर आरोहण या निपथ-यात्रा करने वाले दलों के साथ ——————————
(ख) 19,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर आरोहण यानिपथ-यात्रा करने वाले दलों के साथ ——————————
(ग) 13,500 फुट से अधिक ऊंचाई पर आरोहण या निपथ-यात्रा करने वाले दलों के साथ (जो अप्रयोज्य हो उसे काट दें) ——————————

9. स्थानीय सीमाओं का व्योरा, जिनके भीतर आवेदक भारिक के रूप में कार्य करना चाहता है ——————————
——————————

10. उन सभी विशेष स्थानों का विवरण जहां आवेदक आवेदन-पत्र देने से तुरन्त पूर्व तीन वर्ष रहा हो। ——————————
——————————
——————————

11. क्या विवाहित है या अविवाहित ——————

12. आवेदक पर आश्रितों का पूरा विवरण ——————

13. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का हवाला जो आवेदक से परिचित हों (1) ——————

——————

(2) ——————

——————

14. कोई अन्य सूचना जिसे आवेदक देना चाहता हो ——————

मैं घोषित करता हूं कि उपर्युक्त दिया गया विवरण मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान——————

तिथि——————

आवेदक के हस्ताक्षर,
या बायें हाथ के अंगूठे का निशान।

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा भरा जाने वाला)

प्राप्ति की तिथि——————

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर।

ध्यान दीजिए:—इस आवेदन-पत्र के साथ (क) राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित तीन पार-पत्र नाप की प्रतिकृतियां संलग्न की जाएं (एक प्रपत्र पर दिए गए स्थान पर चिपकाएं)।

प्रपत्र "ख"

(नियम 6 देखें)

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

पंजीकरण संख्या——————

श्रेणी ——————

प्रमाणित किया जाता है कि श्री——————सुपुत्र श्री ——————निवासी ——————जिसका विवरण नीचे दिया गया है को हिमाचल प्रदेश आरोहण अथवा निपथ-यात्रा भारिक (नियोजन का विनियमन) नियम, 198' के नियम 6 की शर्तों के अनुसार——————से —————— तक एक वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया है।

1. नाम तथा माता पिता का नाम——————

2. पूरा पता (1) निवास——————

——————

(2) स्थायी निवास का पता——————

3. ——————————ऊंचाई पर आरोहण अथवा निपथ-यात्रा दल को सहायता पहुंचाने के लिए भारिक के रूप में नियोजन के लिए उपयुक्त है ।

4. स्थानीय सीमाएं जिनके भीतर भारिक को नियोजित किया जा सकता है

5. पहचान चिह्न

स्थान ——————————

तिथि——————————

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

——————————से——————————तक नवीकृत किया गया ।

स्थान——————————

तिथि——————————

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर ।

प्रपत्र "ग"

(नियम 9 देखें)

भारिकां का रजिस्टर

क्र0	भारिक का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	वर्तमान पता	वर्ग क0 ख0 ग0	स्थानीय सीमा
1	2	3	4	5	6	7

आवेदक पर आश्रितो का विवरण	तिथि से/ तक पंजीकृत	तिथि तक नवीकृत	प्रमाण-पत्र संख्या	पहचान-पत्र संख्या	आरोग्यता संदर्भ	अभियुक्तियां
8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र "घ"

(नियम 10 देखें)

पहचान-पत्र का प्रपत्र

पंजीकरण संख्या—————————श्रेणी—————————

नाम——————————
सपुत्र श्री——————————
जन्म तिथि——————————
पता (1) निवास ——————————
——————————
(2) स्थायी निवास——————————
स्थान या पता——————————
पहचान चिह्न ——————————
भारिक के हस्ताक्षर या
निशान अंगूठा।

भारिक की प्रतिकृति (फोटो)

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

क्र0 सं0	नियोजक का नाम	सौंपे गए कार्य का स्वरूप	भारिक का हवाला	नियोजक हस्ताक्षर

आदेश द्वारा,
के0 सी0 पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

TOWN & COUNTRY PLANNING ORGANISATION, HIMACHAL PRADESH

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND-USE MAP SIMLA PLANNING AREA (EXTENDED)

*Simla-*1, *the* 26*th June*, 1981

No. HIM/TP-Dir (1)/81-Vol-II-1763-1862.—Notice is hereby given that the existing land-use map and register of Jubber Hatti and the surrounding villages, included in Simla Planning Area *vide* Government notification No. PW (B) 15 (1) 6/81, dated the 25th May, 1981 has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the H.P. Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and a copy thereof is available for inspection during office time in the office of the Director, Town & Country Planning Orgn., U. S. Club, Simla-171001.

If there is any objection or suggestion with respect to the existing land-use map/register so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town & Country Planning Orgn., U.S. Club, Simla within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the H. P. Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land-use map/register before the period specified above will be considered by the Director.

भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जुबड़ हट्टी और इसके इर्द-गिर्द गांव शिमला निवेश क्षेत्र सहित भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मान चित्र सरकार की अधिसूचना संख्या पी0डब्ल्यू0 (बी0)-15(1)6/81, दिनांक 25-5-1981 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है । और उसकी एक प्रति निदेशक, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संगठन, यू0एस0 क्लब, शिमला-1 के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है ।

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मान-चित्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे लिखित रूप में निदेशक, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संगठन को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीक से 30 दिन की कालावधि के भीतर भेजा जाना चाहिए।

भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी उक्त मान चित्र के सम्बन्ध में किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा, सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, निदेशक द्वारा विचार किया जायेगा।

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND-USE-MAP, BAROTIWALA PLANNING AREA

Simla-1, the 29th June, 1981

No. Him/Tp-371/1908-2057.—Notice is hereby given that the Existing Land-Use-Map for Barotiwala Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the office of the Director, Town & Country Planning Orgn., U. S. Club, Simla-1 and Common Facility Centre, Industries Department, Barotiwala.

If there is any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Director, Town & Country Planning Orgn., U. S. Club, Simla-1 within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the H.P. Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director.

भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बरोटीवाला निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (क्रमांक 12 सन् 1977) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति, निदेशक, हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना संगठन, यू0एस0 क्लब, शिमला-1 व सांझी सुविधा केन्द्र, उद्योग विभाग, बरोटीवाला ।

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे लिखित रूप में निदेशक, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संगठन को "हिमाचल प्रदेश राजपत्र" में सूचना की प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर भेजा जाना चाहिए ।

भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी उक्त मानचित्र के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि से पूर्व प्राप्त हो, निदेशक द्वारा विचार किया जायेगा।

एच0 सी0 मल्होत्रा,
निदेशक ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।